रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1008] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939
No. 1008] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2017

का.आ.1134(अ).—जबकि, सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है तथा आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं होती है;

तथा जबकि, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (जिसे इसके पश्चात प्रतिष्ठान कहा जाएगा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 24 मार्च, 1992 को पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के तत्वावधान में की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात इसे मंत्रालय कहा जाएगा), भारत सरकार प्रतिष्ठान की कार्पस निधि के लिए अंशदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान अपने स्वयं के संसाधनों और निवेशों से भी राजस्व सृजित करता है।

तथा जबकि, प्रतिष्ठान, निम्नलिखित 6 योजनाओं (जिन्हें इसके पश्चात योजनाएं कहा जाएगा) के तहत 'चिकित्सा सहायता के लिए नकद सहायता, अन्तरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन, छात्रों को छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति के अत्याचार पीड़ितों को राहत (जिसे इसके बाद लाभार्थी कहा जाएगा)' प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता (जिसे इसके पश्चात लाभ कहा जाएगा) के लिए योजनाएं संचालित करता है:-

क) डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना।
ख) अन्तरजातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना।
ग) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना।
घ) माध्यमिक परीक्षा के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार।

ङ) वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा हेतु डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार।

च) अनुसूचित जाति के अत्याचार पीड़ितों को डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत।

तथा जबकि, प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित की जा रही उपर्युक्त योजनाओं में किया जाने वाला पूर्ण अथवा आंशिक व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामतः—

1.(1) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण कराएं।

(2) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनके पास आधार नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं कराया है परन्तु वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, से एतदद्वारा यह अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, बशर्ते कि वह आधार अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यीआईएडीआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, यह अपेक्षित है कि मंत्रालय प्रतिष्ठान जिसे व्यक्ति द्वारा आधार प्रदान करना अपेक्षित है, के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है तथा ऐसे मामलों में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो मंत्रालय प्रतिष्ठान के माध्यम से ऐसे सभी मामलों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यीआईडीएआई) के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर अथवा मंत्रालय स्वयं यूआईडीएआई पंजीयक बनकर आधार नामांकन सुविधा प्रदान कराए।

बशर्ते कि उस समय तक जब लाभार्थी को आधार सौंपा जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे लाभार्थियों को निम्नलिखित पहचान संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा, नामतः—

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति।

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक, या (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; अथवा (iii) राशन कार्ड, या (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा (v) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) पासपोर्ट; अथवा (vii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय लैटर हैड पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो की पहचान का प्रमाण-पत्र; या (viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते यह भी कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय अथवा प्रतिष्ठान द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

बशर्ते यह भी कि, जब 'अनुसूचित जाति के अत्याचार पीड़ितों को डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना' के तहत किसी लाभार्थी को समयबद्ध ढंग से अथवा आपातकालीन उपाय के रूप में सहायता प्राप्त करने की जरूरत

होती है तब उसे पैरा 1 के उप पैरा (3) में उल्लिखित उपर्युक्त अपेक्षित समय जो तीस दिन से अधिक नहीं है, का पालन करने पर ऐसे लाभ लेने से मना नहीं किया जाए।

2. योजना के तहत योजना के लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से और बिना किसी कठिनाई के लाभ उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय प्रतिष्ठान के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेंगे:-

(क) योजनाओं के तहत आधार की अपेक्षा के बारे में लाभार्थियों को अवगत करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों के समीपवर्ती आधार नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) उपलब्ध करायी जाए।

(ख) यदि योजना के लाभार्थी अपने निवास के समीप यथा प्रखंड अथवा तालुक अथवा तहसील के भीतर नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, यह अपेक्षित है कि प्रतिष्ठान सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं और लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे प्रतिष्ठान अथवा मंत्रालय के संबंधित कार्मिक को या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन हेतु अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11017/87/2016-एससीडी-1(खंड-2)]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2017

S.O. 1134(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency, efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity.

And whereas, Dr. Ambedkar Foundation (hereinafter referred to as the Foundation) was established by the Government of India under the aegis of the erstwhile Ministry of Welfare (now Ministry of Social Justice and Empowerment) on 24th March, 1992 as a registered society under the Societies Registration Act, 1860. The Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Ministry), Government of India is contributing towards corpus funds of the Foundation. Apart from the said contribution of funds by the Central Government the Foundation generates revenue through its own resources and investments.

And whereas, the Foundation implements the following six Schemes (hereinafter referred to as the Schemes) for providing financial assistance (hereinafter referred to as the benefit) for Medical Aid, incentives for inter-caste Marriages, scholarships to students and relief to Scheduled Caste victims of atrocities (hereinafter referred to as the beneficiaries), namely:-

a) Dr. Ambedkar Medical Aid Scheme;
b) Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages;
c) Dr. Ambedkar Foundation National Essay Competition Scheme;
d) Dr. Ambedkar National Merit Awards for Secondary Examination;
e) Dr. Ambedkar National Merit Awards for Senior Secondary Examination; and
f) Dr. Ambedkar National Relief to Scheduled Caste Victims of Atrocities;

And whereas, the aforesaid Schemes being implemented by the Foundation involves expenditure incurred partially or fully from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) An eligible individual desirous of availing the benefits under the Schemes is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Schemes, who does not possess an Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through Foundation is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block, Taluka or Tehsil, the Ministry through the Foundation is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or the Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub- paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) any other documents specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Foundation for that purpose.

Provided further that when a beneficiary needs to avail assistance in a time bound manner or in an emergency measures, under the Scheme of 'Dr. Ambedkar National Relief to Scheduled Caste Victims of Atrocities', he or she shall not be denied such benefits subject to his or her subsequently complying to above requirement in sub-para (3) of para 1 not later than thirty days.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Schemes the Ministry through the Foundation shall make all the required arrangements including the following, namely:-

a) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

b) In case, the beneficiaries are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in Block, Taluka or Tehsil, the Ministry through the Foundation is required to facilitate Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers with other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Foundation or the Ministry or through a web portal provided for that purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 11017/87/2016-SCD-I (Pt.II)]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.12 12:26:10 +05'30'